दूरभाष–7552488961
मोबाईल–9425351807
Email-mprskayog@gmail.com

# म.प्र. राज्य सफाई कर्मचारी आयोग

(नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)
शिवाजी नगर,भोपाल (म.प्र.)

**क्रमांक.–मप्ररासकआ कार्या./2025/1481** **भोपाल दिनांक.24/04/2025**

प्रति,

आयुक्त महोदय
पुलिस विभाग
जिला–इन्दौर

विषयः–जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने व चाकू मारकर जान से मारने की धौंस देने वाले तथा अनुसुचित जाति के व्यक्ति का चरित्र हनन करने वाले अक्षय तिवारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय श्री प्रताप करोसिया जी, (केबिनेट मंत्री दर्जा) अध्यक्ष म.प्र. राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, म.प्र. शासन को श्री सदानंद भेरवे पिता श्री महेश भेरवे, पता 579 श्री कृष्णा एन्कलेव, सांवेर रोड, इन्दौर का आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन की छायाप्रति संलग्न है।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय ने संलग्न आवेदन पर तत्काल कार्यवाही करवाने एवं की गई कार्यवाही से दिनांक 29.04.2025 तक आयोग कार्यालय के कक्ष क्रमांक 311, द्वितीय तल, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, शिवाजी नगर भोपाल में अनिवार्य रूप से अवगत कराने के निर्देश दिये है।

**(मा0 अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार)**

Sunil
निज सचिव
म0प्र0राज्य सफाई कर्मचारी
आयोग, भोपाल

*क्र.–मप्ररासकआ कार्या./2025/1482* *भोपाल दिनांक.24../04/2025*

प्रतिलिपिः–

1. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश पुलिस, की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Sunil
निज सचिव
म.प्र. राज्य सफाई कर्मचारी
आयोग, भोपाल

प्रति,

1) पुलिस आयुक्त महोदय
पुलिस विभाग
जिला इंदौर (म. प्र.)

2) श्रीमान जिलाधीश महोदय
जिला इंदौर

3) श्रीमान एडिशनल DSP
जोन क्रमांक 04 जिला इंदौर (म. प्र.)

4) श्रीमान DCP महोदय
पुलिस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ
इंदौर (म. प्र.)

5) माननीय प्रताप करोसिया जी
अध्यक्ष
राज्य सफाई कर्मचारी आयोग
केबिनेट मंत्री (म.प्र. शासन)

विषय :- जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने व चाकू मारकर जान से मारने की धौंस देने वाले तथा अनुसूचित जाति के व्यक्ति का चरित्र हनन कराने वाले अक्षय तिवारी के विरुद्ध कार्यवाही कर न्याय देने बावत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयनुसार निवेदन करने वाला मैं सदानंद पिता महेश भैरवे उम्र 35 वर्ष जाति वाल्मिकि मेहतर अनुसूचित जाति निवासी 579, श्री कृष्णा (एन्क्लेव पंचडेरिया, सांवेर रोड, इंदौर, से निवेदन करता हूँ कि मैं अनुसूचित का शिक्षित युवा हूं तथा सफाई कामगार वर्ग का जाति होने से अपने व समाज के सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए स्काई विजन (Sky Vision) इंस्टीट्यूट, छात्रों के कौशल विकास का गठन करके मध्यप्रदेश के अनुसुचित जाति तथा जनजाति के साथ-साथ गरीब वर्ग के कल्याण के लिए संस्थान स्थापित किया है।

उक्त संस्थान के विरोध में अक्षय तिवारी, ऑक्सफोर्ड इन्टरनेशनल कॉलेज पता : पितृ पर्वत के सामने हातोद रोड इंदौर, इन्दौर इन्टरनेशनल कॉलेज पता : सांवेर रोड, ग्राम सोल्सिनादा इंदौर, अक्षय अकादमी स्कूल, इंदौर इंटरनेशनल स्कूल पता : 32 किला मैदान खासगी का बगीचा इंदौर, के चेयरमैन अक्षय तिवारी निवासी संगम नगर इंदौर (Mobile No. 94245-83000) के द्वारा मुझे यह धौंस दी जा रही है कि तु साले भंगी हरिजन होके तेरा काम टट्टी झाड़ने का है और तु हम ब्राहमण की जोड़ मे इतना बड़ा संस्थान स्थापित कर रहा है। साले नीच जाति के मैं देखता हू। कि तू कैसे शिक्षा जगत के क्षेत्र में कामयाब कैसे होता है

मुझे स्वयं और मेरे साथ काम करने वाले लोगो को मोबाइल फोन पर अक्षय तिवारी द्वारा यह धमकी दी गयी कि इस भंगी सदानंद के गाड पर दो चाकू के हाथ फसवाऊँगा और इसको लड़कीयों के बयान कराकर चरित्र हनन कर दूगा और मेरे पास बहुत से ऐसे लोग है जिनका बयान कराकर इसके संस्थान को बदनाम करवा दूगा। और मेरी पहुच DCP आनंद यादव से है इस पर कई झूठे मुकदमे दर्ज करा दूगा । मेरी सब स्तर पर बात हो चुकी हो मैं सदानंद को जमीन में गाड़ दूगा। मेरे पास इतने गुंडे बदमास है कि इसको इंदौर में नही रहने दूगा। इसको कह दो की ये संस्थान बंद करके भाग जाए। और कह दो कि मैं ही ये व्यवसाय करता है। और इन्दौर संभाग मे किसी को नही करने दूगा। और मे देखता हु की इसका साथ देने वाले अन्य डायरेक्टर आशीष

सत्यमेव जयते

**GOVERNMENT OF INDIA**
**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**

Central Registration Centre

**Certificate of Incorporation**

[Pursuant to sub-section (2) of section 7 and sub-section (1) of section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and rule 18 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

I hereby certify that SKY VISION EDUCATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED is incorporated on this FOURTEENTH day of DECEMBER TWO THOUSAND TWENTY FOUR under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and that the company is Company limited by shares

The Corporate Identity Number of the company is **U85493MP2024PTC073887**

The Permanent Account Number (PAN) of the company is **ABOCS8348D***

The Tax Deduction and Collection Account Number (TAN) of the company is **BPLS32553D***

Given under my hand at Manesar this FOURTEENTH day of DECEMBER TWO THOUSAND TWENTY FOUR

Signature Not Verified
Digitally signed by
DS MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS , CRC MANESAR 1
Date: 2024.12.14 19:23:41 IST

PRAMOD KUMAR

Assistant Registrar of Companies/ Deputy Registrar of Companies/ Registrar of Companies

For and on behalf of the Jurisdictional Registrar of Companies

Registrar of Companies

Central Registration Centre

Disclaimer: This certificate only evidences incorporation of the company on the basis of documents and declarations of the applicant(s). This certificate is neither a license nor permission to conduct business or solicit deposits or funds from public. Permission of sector regulator is necessary wherever required. Registration status and other details of the company can be verified on mca.gov.in

Mailing Address as per record available in Registrar of Companies office:

SKY VISION EDUCATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED

604, Block A, 6th Floor, The One, 5 R.N.T. Marg, Indore Tukoganj, Indore, Indore- 452001, Madhya Pradesh

*as issued by Income tax Department

मेहता पिता श्री श्यामबिहारी मेहता, अंकित राउत पिता स्व. श्री शेषराव राउत, अमृत सिंह बड़वाल, इनको भी मेरा साथ देने के लिए फोन पर अक्षय तिवारी द्वारा धमकी दी है कि अगर आपने इसके संस्थान को नहीं छोड़ा तो आपको भी मरवा दूंगा।
महोदय, क्योकि अक्षय तिवारी जाती से ब्राह्मण व अनेको घोठालों में लिप्त होकर अनेको प्रॉपर्टी का मालिक होकर धनवान है और उच्च जाति का होने का कारण बड़े लोगों के संपर्क में है। इसकी इस धौंस की घठना मैं, मेरे पार्टनर और मेरा परिवार काफी भयभीत है। मुझे डर है कि कहीं अक्षय तिवारी किसी को मेरी सुपारी देकर ट्रक, बस या अन्य किसी वाहनो से मेरा एक्सीडेंट करवा कर जान से मरवा सकता है।

अक्षय तिवारी खुद या अपने साथीयो से मेरी हत्या करवा सकता है तथा मेरे परिवार को शारीरिक नुकसान पहुंचा सकता है। या मेरे परिवार को शारीरिक नुक्सान पहुचाके या मुझे आर्थिक क्षति के साथ-साथ मेरी सामाजित प्रतिष्ठा को खत्म कर सकता है।

मैं शिकायत के साथ साथ अक्षय तिवारी द्वारा मोबाइल फोन पर ही गई जान से मारने की धमकी, संस्थान न चलाने की धमकी व जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने जैसे धौसो की रिकोर्डिंग पेन ड्राइव शिकायत के साथ सलग्न कर रहा हूँ ।

इस घटना से काफी आहत होकर दूखी और काफी डरा हुआ हूँ । मेरा अनुरोध है कि अक्षय तिवारी पर अनुसुचित जाति अत्याचार नियम, अधिनियम 1990 के अतंर्गत कार्यवाही कर मुझ अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्ति को न्याय देने की कृपा करें।

प्रार्थी

सदानंद भेरवे पिता महेश भेरवे
पता : 579 श्री कृष्णा एन्क्लेव सांवेर रोड इंदौर (म.प्र.)
मोबाइल : 9630643038

24/04/2025

परिशिष्ट – तीन
(नियम क्र. 8(1) देखे)

(स्थायी प्रमाण–पत्र)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणिकरण)

अनुभाग मन्दसौर
पुस्तक क्रमांक .................................................... मध्यप्रदेश
प्रमाण–पत्र क्रमांक ..........................

प्रकरण क्रमांक 8858/B/21 05-06.

## जाति प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सदानन्द
पिता/पति का नाम महेश कुमार जी निवासी ग्राम/नगर मंदसौर
वि.ख. मंदसौर तहसील मंदसौर जिला मंदसौर
संभाग उज्जैन जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 एवं 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह [illegible] जाति/जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन)अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक 11 पर अंकित है।

अतः श्री/श्रीमती/कुमारी सदानन्द
पिता/पति का नाम महेश कुमार जी अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी सदानन्द के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये [illegible] है।

दिनांक: ....................

अनुविभागीय अधिकारी
प्रमाणीकरण अधिकारी (राजस्व) मन्दसौर (म.प्र.) नाम

(सील)

कलेक्टर, आदिम जाति कल्याण विभाग